

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

का.आ. 1149(अ).-- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया है, को उक्त अधिनियम की अनुसूची में, उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ (1), (2) और (3) में उपदर्शित क्रम सं., राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और उसके विवरण के साथ विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

सारणी		
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
67क	79%	राजस्थान राज्य में किशनगढ़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के साथ अपने संधि स्थल से शुरू होकर और नसीराबाद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
····		

[फा. सं. एनएच-14012/4/2001-पीएंडएम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सङ्क विकास) और अपर सचिव

टिप्पणः — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची ठक्त अधिनियम के साथ राजपत्र में अधिसूचना सं. का. नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 767(अ), तारीख 8 अगस्त, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 21st November, 2001

S.O. 1149(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the columns (2) and (3) of the Table below to be a National Highway.

The said highway declared to be National Highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the serial No., National Highway No. and the description thereof indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table :

TABLE		
Serial No. in the Schedule to the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highway
(1)	(2)	(3)
67A	79A	The highway starting from its junction with National Highway No. 8 near Kishangarh and terminating at its junction with National Highway No. 79 near Nasirabad in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/4/2001-P&M]

S C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: — The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide notification No. S.O. 767(E) dated 8th August, 2001.

2